न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट / पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

पार्थी श्री [illegible] पिता [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible]

अप्रार्थी [illegible] सरपंच [illegible] पंचायत [illegible] ग्राम [illegible] (1)

किस्म मुकदमा [illegible] 3 नियम 1 व 2 जाप्ती (1) पत्रावली संख्या: ...22 / 2019.
(2019... / [illegible] 22.)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27/2/2020 प्रकरण पेश हुआ। नकीलउमर एवं [illegible] उपस्थित। प्रकरण की [illegible] अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया प्रकरण अप्रार्थियों को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पारित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम पंचायत [illegible] के खाता नं. 6 [illegible] 11-5 बिघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 व [illegible] जने व [illegible] अपने निजी प्रयोजन, परिवार [illegible] के [illegible]। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में [illegible] है। न्यायालय [illegible] कार्य को [illegible] कर [illegible]। साक्ष्य लिये जाने निर्माण कार्य को इजाजत पर प्रार्थी के [illegible] करने में [illegible] अप्रार्थीगण अवैध अतिक्रमण [illegible] ही [illegible]। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि [illegible] प्रार्थी एवं अन्य [illegible] की [illegible] खातेदारी [illegible] है। प्रार्थी के [illegible] पत्र पर [illegible] के [illegible] और [illegible] को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण [illegible] होंगे। प्रकरण [illegible] में [illegible] तक [illegible] के [illegible] [illegible] रहेगा।	

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 13:04:17 IST
Reason: SelfAttested